

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1967/2012/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन द्वितीय, बांसवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मंगना केबल मेन्युफेक्चरर प्रा० लि०,
एफ-1087, रीको फेस-तृतीय,
भिवाड़ी, अलवर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विनय कुमार गोयल, अभिभाषक

.....विभाग की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 03.08.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 56/आरवैट/2011-12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन द्वितीय, बांसवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 01.05.2011 में आरोपित कर रुपये 19,992/- एवं शास्ति रुपये 42,840/- कुल मांग राशि रुपये 62,832/- को अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 01.05.2011 को वाहन संख्या GJ-10/Y-6642 को चैक करने पर इसमें ओल्ड इलैक्ट्रिकल गुड्स-इलैक्ट्रिक पैनल/मोटर आदि भावनगर (गुजरात) से भिवाड़ी (राजस्थान) के लिये परिवहनित होना पाया गया। परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा मैसर्स ताज इलैक्ट्रिक्स, भावनगर (गुजरात) का बिल नं० 4 दिनांक 29.04.2011 -माल ओल्ड एण्ड यूज्ड इलैक्ट्रिकल गुड्स कीमतन रुपये 1,42,800/- जो मै० मंगना केबल मेन्युफेक्चरिंग प्रा० लि०, भिवाड़ी को जारी था, घोषणा पत्र वैट- 49 नं० 5318097 प्रस्तुत किये गये। जांच अधिकारी ने दस्तावेजों के अवलोकन से पाया कि परिवहनित माल के साथ विधिक घोषणा पत्र वैट-47 संलग्न नहीं किया गया है जबकि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में आता है। अधिसूचित माल घोषणा पत्र वैट-47 के बिना राज्य के बाहर से आयात किया जाकर अधिनियम की धारा

31

निरन्तर.....2


76(2) सपठित नियम 53(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में श्री जिंकर भाई, वाहन चालक/माल प्रभारी ने लिखित जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र वैट-47 नं० 8292042 पेश किया और कथन किया कि परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ विधिक घोषणा पत्र वैट-47 के स्थान पर गलती से घोषणा पत्र वैट-49 नं० 5318097 लगा दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए परिवहनित माल इलैक्ट्रिक गुड्स कीमतन रूपये 1,42,800/- पर 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 19,992/- एवं करापवंचन के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 42,840/- कुल रूपये 62,832/- का आरोपण किया गया।

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है, अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स ताज इलैक्ट्रिकल्स, भावनगर (गुजरात) से जरिये बिल नं० 4 दिनांक 29.04.2011 कीमतन रूपये 1,40,000/- का माल ओल्ड एण्ड यूज्ड इलैक्ट्रिकल्स पैनल एण्ड मोटर खरीदा गया है, जिस पर विक्रेता द्वारा 2 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय बिक्री कर वसूल किया गया है। प्रकरण में लिपिकीय त्रुटिवश विक्रेता व्यवसायी को वैट-47 के स्थान पर वैट-49 भेज दिया गया था, जिसकी वजह से वक्त जांच परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-47 के स्थान पर घोषणा पत्र वैट-49 नं० 5318097 संलग्न पाया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में जवाब के साथ वैट-47 नं० 8292042 पेश कर दिया गया था। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स डी.पी. मैटल्स (2001) 124 एसटीसी 611 को उल्लिखित करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

निरन्तर.....3



6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मार्गस्थ माल की जांच पर प्रत्यर्थी द्वारा इलैक्ट्रिक गुड्स जो कि राज्य में अधिसूचित वस्तु है, भावनगर (गुजरात) से भिवाड़ी (राजस्थान) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया था जिसके साथ में विक्रेता के बिल के अलावा राज्य का फॉर्म वैट-49 पाया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त फॉर्म वैट-49 राज्य से बाहर जाने वाले अधिसूचित माल के संबंध में दिया जाना निर्दिष्ट है परन्तु ऐसा प्रकट होता है कि मात्र त्रुटिवश (due to genuine mistake) ही प्रत्यर्थी द्वारा फॉर्म वैट-47 के स्थान पर उक्त फॉर्म 49 प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें व्यवहारी की न तो कोई बदनीयति पायी जाती है तथा न ही धारा 76(2) की पालना नहीं करने का ही कोई उद्देश्य पाया जाता है। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा फॉर्म वैट-47 संख्या 8292042 दिनांक 03.05.2011 को प्रस्तुत कर दिया था। अतः genuine mistake के कारण राज्य के भीतर आने वाले माल के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले फॉर्म वैट-47 के स्थान पर राज्य के बाहर जाने वाले माल के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला फॉर्म वैट-49 प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद में अवसर दिये जाने पर निर्दिष्ट फॉर्म वैट-47 भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स डी0पी0 मैटल्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (2001) 124 एसटीसी 611 के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है, अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।
7. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।



03-08-2018

(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य